

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 05.08.2025

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की चेन (पीली धातु) बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में उ0नि0 देवेन्द्र दुबे मय पुलिस टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 434/2025 अन्तर्गत धारा 303(2) बीएएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता सोनिया को चोरी के चेन (पीली धातु) के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2025 को वादिनी ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में ऑटो रिक्शा में पहले से बैठी अभियुक्ता द्वारा वादिनी का चेन चुरा लिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता -

सोनिया पत्नी राजेश निवासी ग्राम मुड़ियारी थाना महुली जनपद संत कबीर नगर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 434/25 धारा – 303(2) भारतीय न्याय संहिता थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 007/2021 धारा 08/ 21NDPS ACT थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 263/2025 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद पीली धातू की चेन व 2630/- रूपया नकद

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 देवेन्द्र दुबे थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 सुरेश कुमार यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
4. का0 हरेन्द्र चौहान थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
5. म0का0 रीमा यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर